षोडश

बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग-1

सोमवार, तिथि 31 आषाढ़, 1941 (श०) / 22 जुलाई, 2019 (ई०)

प्रश्नों की कुल संख्या **05**

(1)	सामान्य प्रशासन विभाग	02
(2)	वित्त विभाग	01
(3)	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	01
(4)	गृह विभाग	01
	कुल योग --	05

नियमावली का निर्माण

21. श्री ललित कुमार यादव--क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि राज्य में अगलगी की घटनाओं पर रोक-थाम के लिये बिहार फायर सर्विस ऐक्ट, 2014 (बिहार ऐक्ट, 6) लाया गया, जिसकी धारा 30 में अग्नि सुरक्षा प्रबंधन इकाई का गठन करना था तथा धारा 63 में नियमावली/विनियमावली बनाना था, जो आजतक नहीं बनाया गया है, यदि हाँ, तो सरकार अग्नि सुरक्षा प्रबंधन इकाई का गठन तथा नियमावली कबतक बनाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

आरक्षण के लिये कानून बनाना

22. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि अन्य राज्यों के तरह बिहार राज्य में भी शिक्षण संस्थानों में नामांकन तथा सरकारी सेवा में स्थानीय अभ्यर्थियों को आरक्षण की व्यवस्था के लिये कानून बनाने हेतु प्रश्नकर्ता सदस्य के पत्रांक 83/2016, दिनांक 10 जुलाई, 2016 द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा गया था जिसमें व्याख्याता के पद पर भर्ती में 80 प्रतिशत पद राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों से भरे जाने का जिक्र था ;

(2) क्या यह बात सही है कि बिहार के पड़ोसी राज्य प0 बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आँध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु सहित अन्य कई राज्यों में स्थानीय अभ्यर्थियों के लिये शिक्षण संस्थानों में नामांकन एवं सरकारी सेवा में 70 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक आरक्षण लागू है ;

(3) क्या यह बात सही है कि स्थानीय आरक्षण नहीं रहने से बिहार के अभ्यर्थियों को बिहार के बहार नौकरी से वंचित होने के साथ ही अपने राज्य में भी नौकरी का अवसर नहीं मिलता है ;

(4) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार बिहार के अभ्यर्थियों के हित में कबतक स्थानीय आरक्षण के लिये कानून बनाना चाहती है, नहीं, तो क्यों ?

प्रतिनियुक्ति करना

23. श्री भोला यादव--क्या मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग में पिछले 14 वर्षों से कम्प्यूटर प्रोग्रामर पदाधिकारी नहीं रहने से आयोग द्वारा वाह्य व्यक्ति से कम्प्यूटर प्रोग्रामर पदाधिकारी के रूप में परीक्षा आयोजन, कोडिंग, टेबूलेशन, मेधा सूची तैयार कराने एवं परीक्षाफल प्रकाशन का कार्य कराया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार आयोग कार्यालय में उक्त व्यक्ति को हटाकर योग्य कम्प्यूटर प्रोग्रामर अधिकारी की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

कार्रवाई करना

24. श्री कुमार सर्वजीत--क्या मंत्री, वित्त विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि ''सहारा इंडिया'' में रियल स्टेट बॉण्डा, सहारा इंडिया क्रेडिट क0 लि0, हमारा इंडिया क्रेडिट कोपरेटिव लि0 एवं क्यू शाप आदि में राज्य के गरीब जनता द्वारा 2,000 करोड़ से अधिक रुपया जमा कराया गया है, जिसकी मैचुरिटी पूरी हो चुकी है, परन्तु मैचुरिटी राशि का भुगतान सहारा इंडिया द्वारा नहीं किया जा रहा है, यदि हाँ, तो क्या सरकार राज्य की जनता का पैसा वापस दिलाने हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

निर्माण कराना

25. श्री अजीत शर्मा--क्या मंत्री, मंत्रिमंडल सचिवालय (नागरिक विमानन) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि भागलपुर जिला में स्थित हवाई अड्डा छोटा होने के कारण हवाई सेवा नहीं है, जबकि हवाई अड्डा निर्माण हेतु भागलपुर जिला के गौरडीह प्रखंड के गौराडीह के गोशाला में आवश्यकतानुसार सरकारी जमीन उपलब्ध है ;

(2) क्या यह बात सही है कि भागलपुर सिल्क सिटी, व्यावसायिक केन्द्र तथा बिहार विरासत से संबंधित ऐतिहासिक महत्व का ऐतिहासिक स्थल हैं जिसे देखने देश-विदेश के पर्यटक आते हैं ;

(3) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार गौराडीह में हवाई अड्डा का निर्माण कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों ?

पटना :
दिनांक 22 जुलाई, 2019 (ई0) ।

बटेश्वर नाथ पाण्डेय,
सचिव,
बिहार विधान सभा ।

बि0स0मु0 49(एल0ए0), 2019-20-डी0टी0पी0-550